न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः– ~~चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.~~
मुकदमा संख्याः– 43/2018
1– रामेश्वर S/o नाथू हरोगा नि० – मण्डपिया
2– रतन S/o शंकर हरोगा नि० – मण्डपिया

---प्रार्थीगण

बनाम

1– भैरू S/o रूपा जाट नि० – मण्डपिया
2– चतरा S/o मूला गाडरी नि० मण्डपिया
3– केसर W/o देवीलाल गाडरी नि० मण्डपिया

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–.......................

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 379/2, 381/2, 382, 386/2, 848 कुल किता 05 रकबा 03 बीघा 9.10 बिस्वा स्थित हैं। वाद ग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15/2/18 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 379/2, 381/2, 382, 386/2, 848 कुल किता 05 रकबा 03 बीघा 9.10 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक ...... सुवाणा को 400 रूपये (अक्षरेः– चार सौ) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Received
06

Scanned by CamScanner